निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

(37)

श्रीमान सदस्य महोदय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यु

ग्वालियर, लश्कर म.प्र.

PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा/2017/6211

पन्नालाल पिता बाला बंजारा निवासी दुरगपुरा तहसील मनासा —— याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1 रोड़ीलाल पिता गब्बा बंजारा निवासी दुरगपुरा
2 श्यामलाल पिता गब्बा बंजारा निवासी दुरगपुरा
3 नगजीराम पिता गब्बा बंजारा निवासी दुरगपुरा
4 राजु पिता गब्बा बंजारा निवासी दुरगपुरा —— प्रत्यर्थीगण

मान्यवर महोदय,

याचिकाकर्ता का निवेदन है कि –

1 यह कि, याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रत्यर्थी रोड़ीलाल पिता गब्बा बंजारा निवासी दुरगपुरा ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 म.प्र.भु.रा.सं. के तहत तहसीलदार मनासा के न्यायालय में पेश किया और साथ में धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत एक विशेष अर्ज तत्काल रास्ता खुलाने बाबत पेश किया उसमें प्रकरण क्र. 2अ–13/17–18 डाला हुआ है । उस प्रकरण में दिनांक 30/11/17 को अंतरिम आवेदन पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अंतरिम आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी रोड़ीलाल को अपने खेत पर जाने के लिए ग्राम दुरगपुरा की भुमि सर्वे क्रं. 132/मिन–3 एवं 132/मिन–2 पर कृषि कार्य करने हेतु सर्वे क्रं. 134 एवं 132 की मध्य मेड़ से रास्ता खुलवाने बाबत आदेश दिया गया है । उस आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है और साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के स्थगन हेतु भी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 52 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत प्रस्तुत किया है । मामले में दिनांक 16/01/18 तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश का क्रियांवयन स्थगित रखा गया है । उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी याचि ने प्रस्तुत की हैं और साथ ही स्थगन आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है । निगरानी के निम्नांकित आधार बताए गए है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / नीमच / भू.रा. / 2017 / 6211

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, मनासा के अंतरिम आदेश दिनांक 30–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू–राजस्व, 1959 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	